

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: uktcoga@gmail.com

पत्रांक- /अधि0/दो-29/2024

दिनांक २४ अगस्त, 2024

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-1222/अधि0/दो-29/2024 दिनांक 20.08.2024 के द्वारा श्री चन्द्रकान्त भट्ट को सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), रुड़की के पद पर तैनात किए जाने विषयक आदेश को संशोधित करते हुए श्री चन्द्रकान्त भट्ट को सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, काशीपुर के पद पर तैनात किया जाता है।

2. श्री चन्द्रकान्त भट्ट को निर्देशित किया जाता है कि वे नव तैनाती के पद पर अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

संख्या: 1235(1)/समदिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुड़की/काशीपुर।
4. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून/हल्द्वानी।
5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), रुड़की/काशीपुर।
6. सम्बन्धित कार्मिक (नाम से)।
7. गार्ड फाईल।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
ई-मेल: uktcoga@gmail.com

दिनांक २४ अगस्त, 2024

पत्रांक— /अधि0/दो-29/2024

कार्यालय आदेश

जनहित में श्री विनोद गुन्ज्याल, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अल्मोड़ा को उनके वर्तमान पदभार से स्थानान्तरित करते हुए सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी के पद पर तैनात किया जाता है।


2. श्री विनोद गुन्ज्याल को निर्देशित किया जाता है कि वे नव तैनाती के पद पर अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

संख्या: 1236 (1) / सम्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
4. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून/हल्द्वानी।
5. सम्बन्धित कार्मिक (नाम से)।
6. गार्ड फाईल।


(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: uktcoga@gmail.com

पत्रांक— /अधि0 /दो-29 /2024

दिनांक 28 अगस्त, 2024

संशोधित कार्यालयादेश

कार्यालयादेश संख्या-1233 /अधि0 /दो-29 /2024 दिनांक 24.08.2024 के द्वारा परिवहन विभागान्तर्गत स्थापित चैकपोस्टों की समाप्ति के पश्चात चैकपोस्टों पर तैनात मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों को सम्बद्धीकरण की तिथि से निकटतम कार्यालयों में तैनात किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये थे।


2. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री गुलशन कुमार, कनिष्ठ सहायक को उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, काशीपुर के स्थान पर उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, रामनगर में तैनात किया जाता है।

3. उक्त आदेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

संख्या-1237 (1) /समदिनांकित।

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी।
5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, काशीपुर /रामनगर।
6. सम्बन्धित कार्मिक (नाम से)।
7. गार्ड फाईल।


(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: uktcoga@gmail.com

पत्रांक- /अधि0/दो-29/2024

दिनांक १४ अगस्त, 2024

कार्यालय आदेश

जनहित में श्री कृष्ण चन्द्र पनेरु, वरिष्ठ सहायक, उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कर्णप्रयाग को उनके वर्तमान पदभार से स्थानान्तरित करते हुए सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून में तैनात किया जाता है।

2. श्री कृष्ण चन्द्र पनेरु को निर्देशित किया जाता है कि वे नव तैनाती के पद पर अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

संख्या: 1238 (1) / सम्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कर्णप्रयाग/देहरादून।
4. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून/पौड़ी।
5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग।
6. सम्बन्धित कार्मिक (नाम से)।
7. गार्ड फाईल।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

पत्रांक— /अधि0/दो-29/2024

दिनांक १७ अगस्त, 2024

कार्यालयादेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अधीन परिवहन विभाग के अन्तर्गत 'कनिष्ठ सहायक' संवर्ग में कार्यालयादेश संख्या-1232/अधिष्ठान/दो-29/2024-25 दिनांक 24 अगस्त, 2024 द्वारा सुगम से दुर्गम श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र सुश्री निकिता गुसाई, कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून से उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, टिहरी के लिए किया गया है।

2. उक्त स्थानान्तरण आदेश के क्रम में सुश्री निकिता गुसाई, कनिष्ठ सहायक द्वारा स्वयं के मानसिक रोग से ग्रसित होने सम्बन्धी राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुये उन्हें सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून में ही यथावत रखे जाने हेतु अनुरोध किया गया है।


3. संगत पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सुश्री निकिता गुसाई द्वारा स्थानान्तरण सत्र, 2024 में मानसिक रोग से ग्रसित होने के दृष्टिगत स्थानान्तरण से छूट के अनुरोध के क्रम में सुश्री निकिता गुसाई का कार्यालयादेश संख्या-1230/अधिष्ठान/दो-29/2024-25 दिनांक 24 अगस्त, 2024 द्वारा उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय टिहरी के लिये किया गया स्थानान्तरण एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

संख्या- 1239 (1)/समदिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून।
2. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी।
3. सुश्री निकिता गुसाई, कनिष्ठ सहायक, सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।


(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

पत्रांक- /अधि0/दो-29/2024

दिनांक 28 अगस्त, 2024

कार्यालयादेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अधीन परिवहन विभाग के अन्तर्गत 'प्रधान सहायक' संवर्ग में कार्यालयादेश संख्या-1230/अधिष्ठान/दो-29/2024-25 दिनांक 24 अगस्त, 2024 द्वारा सुगम से दुर्गम श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र श्रीमती सरिता बहुगुणा, प्रधान सहायक का स्थानान्तरण सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून से उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, टिहरी के लिए किया गया है।

2. उक्त स्थानान्तरण आदेश के क्रम में श्रीमती सरिता बहुगुणा, प्रधान सहायक द्वारा अपने पिताजी के गम्भीर रोग से ग्रसित होने सम्बन्धी राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुये उन्हें सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून में ही यथावत रखे जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

3. संगत पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्रीमती सरिता बहुगुणा द्वारा स्थानान्तरण सत्र, 2024 में गम्भीर रोग से ग्रसित होने के दृष्टिगत स्थानान्तरण से छूट के अनुरोध के क्रम में श्रीमती सरिता बहुगुणा का कार्यालयादेश संख्या-1230/अधिष्ठान/दो-29/2024-25 दिनांक 24 अगस्त, 2024 द्वारा उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय टिहरी के लिये किया गया स्थानान्तरण एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

संख्या- 1240 (1) /समदिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून।
2. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी।
3. श्रीमती सरिता बहुगुणा, प्रधान सहायक, सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

पत्रांक— /अधि0 /दो-29 /2024

दिनांक 28 अगस्त, 2024

कार्यालयादेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अधीन परिवहन विभाग के अन्तर्गत 'प्रशासनिक अधिकारी' संवर्ग में कार्यालयादेश संख्या-1228 / अधिष्ठान / दो-29 / 2024-25 दिनांक 24 अगस्त, 2024 द्वारा सुगम से दुर्गम श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र श्री ग्रेट वालिया, प्रशासनिक अधिकारी का स्थानान्तरण सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी से सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अल्मोड़ा के लिए किया गया है।

2. उक्त स्थानान्तरण आदेश के क्रम में श्री ग्रेट वालिया, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी के गम्भीर रोग से ग्रसित होने के दृष्टिगत उन्हें सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी में ही यथावत रखे जाने हेतु अनुरोध किया गया है।


3. संगत पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्री ग्रेट वालिया द्वारा स्थानान्तरण सत्र, 2024 में गम्भीर रोग से ग्रसित होने के दृष्टिगत स्थानान्तरण से छूट के अनुरोध के क्रम में श्री ग्रेट वालिया, प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालयादेश संख्या-1228 / अधिष्ठान / दो-29 / 2024-25 दिनांक 24 अगस्त, 2024 द्वारा सम्भागीय परिवहन कार्यालय अल्मोड़ा के लिये किया गया स्थानान्तरण एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

1241
संख्या— (1) / सम्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी / अल्मोड़ा।
2. श्री ग्रेट वालिया, प्रशासनिक अधिकारी, सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी।
3. गार्ड फाईल।


(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: uktcoga@gmail.com

पत्रांक— /अधि0 /दो-29 /2024

दिनांक 28 अगस्त, 2024

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-1231 /अधि0 /दो-29 /2024-25 दिनांक 24.08.2024 के द्वारा श्री नीतिश मैठाणी, वरिष्ठ सहायक, उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय हरिद्वार को उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी में तैनात किए जाने विषयक आदेश को संशोधित करते हुए उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टिहरी में तैनात किया जाता है।

2. श्री नीतिश मैठाणी को निर्देशित किया जाता है कि वे नव तैनाती के पद पर अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

संख्या: 1242 (1) /सम्दिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी / टिहरी / हरिद्वार।
4. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून।
5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), उत्तरकाशी / टिहरी / हरिद्वार।
6. सम्बन्धित कार्मिक (नाम से)।
7. गार्ड फाईल।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।